



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून/
Regional Office, Dehradun



25, सुभाष रोड, देहरादून-248001/25, SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001,
दूरभाष / PHONE - 0135-2650809, ईमेल/E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं- NGT/05/2024/342

Dated: 18/06/2024

To,

**The Hon'ble National Green Tribunal,
Faridkot House, Copernicus Marg,
Principal Bench at New Delhi-110001.**

**Sub:- Reply affidavit by Respondent No. 01 (MoEF&CC, Regional Office,
Dehradun) in compliance of the order dated 17.05.2024 passed in O.A.
No. 44/2024-reg.**


Sir,

The undersigned is directed to refer to the order dated 17.05.2024 passed in the above mentioned O.A. No. 44/2024. The Hon'ble Tribunal at Para-5 of above order has impleaded Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun as Respondent No. 01 and directed at Para-7 to file his reply/response/objection to Joint Committee Report within one month.

In compliance of the order, a reply affidavit based on available records is being submitted for your kind consideration. It is requested that the reply affidavit on behalf of Respondent No. 01 (MoEF&CC, Regional Office, Dehradun) may kindly be taken on record.

Encl: As above

Yours Faithfully,


(Dr. Krishnendu Mondal)
Scientist-D

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**IN
ORIGINAL APPLICATION No. 44/2024**

IN THE MATTER OF :

Jot Singh Bist

-----Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Regional Office, 25, Subhash Road, Dehradun & Ors.

-----Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit on behalf of Respondent No. 01, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, Dehradun	3-8
2.	<u>ANNEXURE R1/1</u> A copy of letter dated 19.04.2022	9
3.	<u>ANNEXURE R1/2</u> A copy of MoM dated 30.08.2022 of REC	10-16
4.	<u>ANNEXURE R1/3</u> A copy of reply letter dated 17.02.2023	17-33
5.	<u>ANNEXURE R1/4</u> a copy of this office letter dated 17.03.2023	34

6.	<u>ANNEXURE R1/5</u> A copy of this office letter dated 12.04.2024	35
7.	<u>ANNEXURE R1/6</u> A copy of reply letter dated 27.04.2024	36-41

(RESPONDENT NO. 01)

DEHRADUN:

DATED: 18/06/2024

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**IN
ORIGINAL APPLICATION No. 44/2024**

IN THE MATTER OF :

Jot Singh Bist

-----Applicant

Versus

Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Regional Office, 25, Subhash Road, Dehradun & Ors.

-----Respondents

**REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT
NO. 01, MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
AND CLIMATE CHANGE, REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Krishnendu Mondal, (Male) aged about 39 years S/o Shri Gangadhar Mondal, presently working as Scientist-D, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, 25, Subhash Road Dehradun do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-



[Handwritten signature]

1. That I am duly authorized and competent to swear this affidavit and as such conversant with the facts of the present case.
2. That vide order dated 07.03.2024, the Hon'ble NGT had constituted a Joint Committee comprising District Magistrate, Rudraprayag, State Pollution Control Board and representative of Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun with the directions to submit a factual report within two months.
3. That pursuant to order dated 07.03.2024, joint committee report through District Magistrate, Rudraprayag was filed on 13.05.2024. The same was perused by this tribunal and after pursuing the report, the NGT vide order dated 17.05.2024 at Para-5 has impleaded Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun as Respondent No. 01 and directed at Para-7 to file his reply/response/objection to Joint Committee Report within one month.
4. In compliance thereof, the following response/reply by way of affidavit is being submitted for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

STATEMENT OF FACTS

5. It is humbly submitted that prior approval of the Central Government under Section-2 of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980




(Earlier known as Forest (Conservation) Act, 1980) is required for carrying of any non-forestry activity on forest land.

6. It is submitted that a proposal under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 was received in the office of answering respondent through APCCF-cum Nodal Officer (FCA), Government of Uttarakhand vide letter dated 19.04.2022 seeking diversion of additional 0.8511 ha of forest land in favour of Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL) for the construction of 126 Km Rishikesh-Karnprayag new broad gauge rail line. A copy of letter dated 19.04.2022 of APCCF-cum Nodal Officer (FCA), Government of Uttarakhand is annexed herewith as **ANNEXURE R1/1.**

7. That the proposal was discussed in the Regional Empowered Committee (REC) meeting of answering respondent held on 30.08.2022, wherein the following decision were taken:

“After detailed discussion on various aspects of the proposal, the committee decided to approve the proposal subject to submission of clarification/ documents/ information on the following points:

- i. The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh-Karnprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same were and will be submitted. It is***




A handwritten signature in blue ink, consisting of several strokes, located at the bottom center of the page.

requested to propose the plantation area in one patch/ Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps & plantation scheme of 1702 trees shall be submitted.

- ii. A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.*
- iii. Muck disposal plan is required to be reviewed and resubmitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.*
- iv. No trees should be felled in the muck dumping area.” A copy of MoM dated 30.08.2022 of REC is annexed herewith as **ANNEXURE R1/2.***

8. That the above observation of REC was replied by the APCCF-cum-Nodal Officer, Government of Uttarakhand vide letter dated 17.02.2023. The KML file of diversion area was perused and it was found that muck has already been dumped in the site in question before taking approval under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Therefore, the office of answering respondent had sought a report from the State Government vide letter dated 17.03.2023. A copy of reply letter dated 17.02.2023 and a copy of this office letter dated 17.03.2023 are annexed herewith as **ANNEXURE R1/3 & ANNEXURE R1/4** respectively.




[Handwritten signature]

9. Further, during the inspection of Joint Committee on 02.04.2024, it was also observed that muck was dumped on the site in question. Therefore, the office of answering respondent vide letter dated 12.04.2024 has pointed out the violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 to the State Government of Uttarakhand with the request to submit a detailed report in the matter. Further, the name and designation of persons responsible for the violation of above-said Act has also been sought. However, the reply of this office letter dated 12.04.2024 is still awaited from the State Government. A copy of this office letter dated 12.04.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE R1/5**.

10. That referring to this office letter dated 18.03.2024 (may be read as letter dt.17.03.2023), reply has been submitted by the Nodal Officer, Government of Uttarakhand vide letter dated 27.04.2024 (received online on 07.05.2024). By above letter, it has informed that muck has dumped in an anticipation of Stage-I approval. A copy of reply letter dated 27.04.2024 is annexed herewith as **ANNEXURE R1/6**.

11. Since, Stage-I approval in the proposal is not accorded by the answering respondent yet, therefore, it amounts to the clear violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980. Therefore, as per the Para 10 (2) (v) of the Van (Sanrakshan Evam



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Samvardhan) Rules, 2023, the office of answering respondent has submitted the case file to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi on 13.06.2024 through e-office for taking appropriate action in the matter in accordance with law.

12. It is therefore humbly requested to this Tribunal that the reply affidavit on behalf of answering respondent (Respondent No. 01) may kindly be taken on record.
13. That the answering respondent reserves its right to file additional affidavit, if required, till pendente lite.
14. That in view of the foregoing submissions, this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass such or further orders as it may deem fit in the given circumstances of the case.

Ramban
 Identified by *18/06/24*
 Adv. *Ravi Singh Bisht*
 Reg. No. UK. 527/2014

Kishu
DEPONENT
 वैज्ञानिक 'डी' / Scientist 'D'
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/MoEF&CC
 25, सुभाष रोड/25, Subhash Road
 देहरादून/Dehradun-248001

VERIFICATION:

Verified at Dehradun, Uttarakhand on this day *18* of June, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and are based on official records, no part of it is false and nothing material is concealed there from.

NOTARY
 V.L. SHUKLA
 Advocate & Notary
 Reg. No. 2731/2003
 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

S.No. 512/2024
 This affidavit is sworn before me by
 Shri. *Krishnendu Mondal*
 who is identified by Shri. *Ravi Singh Bisht*
 at Dehradun on *18/6/2024* Ad.

Vijay L. Shukla
 Smt. *Vijay L. Shukla*
 Advocate & Notary, D. Dur

Kishu
DEPONENT
 वैज्ञानिक 'डी' / Scientist 'D'
 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/MoEF&CC
 25, सुभाष रोड/25, Subhash Road
 देहरादून/Dehradun-248001

①

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 2502 / FP/UK/RAIL/148808/2021 देहरादून: दिनांक: 19 अप्रैल, 2022

सेवा में,

सचिव,

वन अनुभाग-3,

उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी⁰ ऋषिकेश- कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.8511 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No- FP/UK/RAIL/148808/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.8511 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग-I से भाग-III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग-IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(बी०पी० गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2502 / FP/UK/RAIL/148808/2021 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/गढ़वाल, पौड़ी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय-समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, जनपद-रूद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश।



व-7-0-(50)

28/4/22

[Signature]

[Signature]

(बी०पी० गुप्ता)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**MINUTES OF 71st MEETING OF THE REGIONAL EMPOWERED COMMITTEE OF
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
HELD ON 30th AUGUST, 2022**

The 71st meeting of the Regional Empowered Committee (REC) of the Integrated Regional Office, Dehradun was held on 30th August, 2022 under the Chairmanship of Shri. Pankaj Agrawal, IFS, Addl. PCCF, Integrated Regional Office, Dehradun to discuss the FCA proposals pertaining to the State of Uttarakhand.

Following official/non-official members & the special invitees were present in the meeting either in person or through video conferencing.

S.No.	Name	Designation
01	Shri Pankaj Agrawal, IFS, Addl. PCCF, Integrated Regional Office, Dehradun.	Chairman (Through Video conferencing)
02	Dr. R. S. Bisht, Retd. IFS	Non-official Member (Through Video conferencing)
03	Prof. S. D. Bhardwaj	Non-official Member (Through Video conferencing)
04	Shri, S. S. Rasaily, IFS, APCCF-cum- Nodal Officer (UK)	Special Invitee
05	Shri. Gajendra Prakash Narwane, IFS, AIGF, Integrated Regional Office, Dehradun.	Member Secretary
06	Representatives of the User Agencies and state Forest Department	

At the outset, the Chairman of the Committee welcomed all the members present in the meeting or connected through Video-Conference.



Following proposals pertaining to the state of Uttarakhand were discussed in detail and the case wise decision taken by REC is as under:


Agenda Item No. 01: Diversion of additional 0.4769 ha of forest land in Nagrasu for development of 126.00 KM long broad gauge rail link in the State of Uttarakhand, in favour of Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) within the jurisdiction of Rudraprayag Forest Division, District Rudraprayag, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/RAIL/148843/2021).

Regional Empowered Committee discussed the case in detail. The committee was apprised that the current proposal is for the requirement of additional land of 0.4769 ha area to provide the stability to portal (P1) of tunnel (T15) and side slope of station yard (Gholtir Station) of the already approved Rishikesh Karnprayag Railway line project. It was noted that the number of trees affected by the proposal is 118 (including 36 saplings).

The concerned User Agency and the DFO, Rudraprayag represented the proposal in the meeting and answered to the queries of the committee.

After detailed discussion on various aspects of the proposal, the committee decided to approve the proposal subject to submission of clarification/ documents/ information on the following points:

1. The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh Karnprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same will be submitted. It is requested to propose the plantation area in one patch/ Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps and plantation scheme of 1180 trees shall be submitted.
2. A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.
3. Muck disposal plan is required to be reviewed and resubmitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.



Agenda Item No.02: Diversion of additional 0.8511 ha of forest land in Javeri for development of 126.00 KM long broad gauge rail link in the State of Uttarakhand, in favour of Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL) within the jurisdiction of Rudraprayag Forest Division, District Rudraprayag, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/RAIL/148808/2021).


The case was discussed in details and the committee was apprised that the proposal is for the additional area requirement of 0.85 ha area for muck dumping yard. It was apprised that due to incorporation of new ADIT tunnels in the already approved proposal for the construction of the Rishikesh Karnprayag Railway line, the dumping capacity of already acquired dumping yards have fallen short and due to this there is a requirement of new dumping yards. It was noted that there are 5 trees that are proposed to be affected in the project.

The concerned User Agency and the DFO, Rudraprayag represented the proposal in the meeting and answered to the queries of the committee.

After detailed discussion on various aspects of the proposal, the committee decided to approve the proposal subject to submission of clarification/ documents/ information on the following points:

1. The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh Karnprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same were and will be submitted. It is requested to propose the plantation area in one patch/ Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps & plantation scheme of 1702 trees shall be submitted.
2. A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.
3. Muck disposal plan is required to be reviewed and resubmitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.
4. No trees should be felled in the muck dumping area.

Agenda Item No. 03: Diversion of 4.722 ha (revised from earlier proposed 7.022 ha) of forest land for construction of motor road from KM 41 of Raipur-Kumalda-Kaddukhal motor road to Ringalgarh motor road in favour of PMGSY within the jurisdiction Mussoorie Forest Division, Dist. Tehri Garhwal, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/124428/2021).



The proposal was discussed in detail in presence of the concerned DFO and the user agency. It was noted that 153 trees (including 66 saplings) are proposed to be affected by the project. The committee was apprised that the case was earlier discussed in the REC meeting dated 28.02.2022, wherein the proposal was deferred and directions were given to the Integrated Regional Office, Dehradun to conduct a site visit along with the concerned DFO and project proponent to reassess the requirement of the proposed road as an alternative could be explored by extending the road alignment through the already approved proposal no. FP/UK/ROAD/13390/2015 to connect the target village as per the existing norms of PMGSY.


After which this office conducted a site inspection and further sought some information/clarification from the State Government. The State Government vide letter dated 16.08.2022 submitted the revised proposal reducing the area to 4.722 ha from 7.022 Km and trees proposed to be affected are reduced to 153 (including 66 saplings) from 515 trees, out of which 136 trees shall be felled and 17 trees that are falling in 6-7 m width shall be felled only if required. The project proponent also presented the revised proposal in the meeting and informed that the width of the road has now been reduced to 7 m from earlier proposed 9 m width.

After detailed discussion on various aspects of the proposal, the REC decided to accord in-principle approval for diversion of forest land.

Agenda Item No. 04: Diversion of 4.75 ha of forest land for construction of Bhandeli Bend (Thalisain) To Jakhola Motor Road (Length 9.500 Km) in favour of PMGSY, Garhwal Forest Division, Pauri, District Pauri Garhwal, Uttarakhand. (FP/UK/ROAD/10146/2015).

The committee was apprised that the proposal was placed for discussion in the REC meeting dt. 17.08.2022 but due to the absence of the concerned DFO the same was not discussed and deferred. The proposal was discussed in detail in presence of the DFO, Garhwal Forest Division. The committee was apprised that the State Govt. had earlier informed that a total number of 647 trees are affected in the proposal out of which only 269 will be felled and rest will be transplanted. Thereafter, Stage-I approval was granted in the proposal vide letter dt. 07-01-2019.

As per the condition no. 10 of the stage I approval permission for the felling of not more than 269 trees was granted and the remaining trees were to be transplanted. The State Government has now submitted that 528 number of trees have been felled already. Hence, condition No. 10 of



Stage-I approval has been violated as the permission/ approval of this office was not obtained for felling of more than 296 trees. This turns out to be violation of Stage-I condition and falls under category 1.21 (iii). The DFO informed that list regarding transplantation was sent by mistake in the past and the felling of 528 trees out of 628 was actually required to be done.


After detailed discussion on various aspects of the proposal, the REC decided that it was necessary for the forest department to have taken permission from IRO before felling of trees for which no permission has been previously given. Hence, it amounts to violation of conditions and the REC decided to send the proposal to the MoEF&CC, New Delhi for further necessary action.

Agenda Item No. 05: Diversion of 5.60 ha of forest land for construction of Lachair to Katyani Motor Road, in favour of PWD within the jurisdiction of Pthoragarh Forest Division, District Pithoragarh, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/41149/2019).

The committee was apprised that the case was discussed in the REC meeting held on 29.12.2020 and 30.11.2021. In the meeting dt. 30.11.2021, the REC decided to defer the proposal and desired information/ clarification on 6 points to which the State Government has submitted the reply. The reply has been examined and it was seen that as desired by the REC, the location of the Schools, block headquarter, district headquarter, etc. has now been shown with different colours but the same is not clear. Therefore, a presentation was required to be given by the User Agency. It was noted that 74 trees are proposed to be affected in the proposal. The User Agency along with the DFO concerned represented the proposal in the meeting. It was seen from the KML file that the villages proposed to be benefitted by the proposed road especially village *Katyani* are already connected with existing roads. Further, the User Agency was asked about the necessity for a 9 m width road for a scattered habitation and the possibility for reduction of its width was discussed. The User Agency could not justify the necessity of 9 m width nor the utility of the proposed road. The User Agency also expressed its inability to reduce the width of the proposed road.

After detailed discussion the REC came to a conclusion that the proposed road is not found to be justifiable.

After detailed discussion on various aspects of the proposal, the REC decided to reject the proposal as the same does not appear to be justifiable.




Agenda Item No. 06: Diversion of 16.69 ha of forest land for Widening & Strengthening of Gadarpur-Dineshpur-Matkota-Haldwani State Highway SH-05 (constructed before 1980) in Two-Lane with paved shoulder from Km 17 to 38 in favour of PWD, Tarai Central Forest Division, District Nainital and Udham Singh Nagar, Uttarakhand. (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/157397/2022).

The proposal was discussed in detail with the DFO, Tarai Central Forest Division and the User Agency. The committee noted that 352 trees are required to be felled and 228 trees will be lopped. It was noted that the forest land proposed for diversion is not a part of any Protected Area and no rare and endangered species of flora and fauna have been reported in the area proposed for diversion. Further, it was noted that there is a violation of IFA, 1927 which has been reported by the State Government and the work of widening of the road was started without any permission at 5 places involving forest area of 1.8495 ha. The work of soil digging and filling was started which was later stopped by the Forest Department. Five forest offences have been registered against the Project Manager BRIDCUL, Haldwani. It was also apprised to the REC that as per the MoEFCC letter dt. 22nd March 2022; proposals involving violations of FCA, 1980 as specified in para (i) and (ii) of the guidelines are required to be examined at the level of Ministry.

The committee was apprised that the proposal was also discussed in the FRCM held on 28.07.2022 wherein the State Government was requested to submit information/clarification on 12 points and reply to the same has been submitted by the State Government. It was also apprised to the committee that the concerned area is very important for the movement of Wildlife, especially the elephants. A point wise discussion on these 12 points was held.

After detailed discussion on various aspects of the proposal, the committee decided to recommend the proposal to the MoEF&CC, New Delhi for further necessary action subject to submission of clarification/ documents/ information on the following points:

1. The State Government shall upload the list of 352 trees at para 4 Part II which are actually required to be felled.
2. The CA scheme is required to be reviewed in terms of CA rates and the revised CA scheme is required to be uploaded.



3. The Wildlife Mitigation Plan duly approved by the CWLW is required to be submitted.
4. The State Government should also assess the requirement of elephant underpass/overpass and accordingly these should be included in the design of the road, as per the recommendation and approval of CWLW.
5. The State Government shall submit a detailed action taken report against the violation of IFA, 1927.

The meeting ended with thanks to the members and other participants.

Gajendra Narwane
06.09.2022
(Gajendra Prakash Narwane)
AIGF-cum-Member Secretary, REC

File. No.: RO-DDN/REC/1-2014/VOL-6/782

Dated: 06 September, 2022

Distribution:

1. Dr. R. S. Bisht, Retd. IFS (Member, REC), Green Street, Uttaranchal colony, Gas Godam Road, Kusum Kheda, Haldwani-263 139 (Uttarakhand)
2. Dr. S. D. Bhardwaj, (Member, REC), 33-Sai Niwas, Scientist Colony, Post Office Shanti, Tehsil & Distt. Solan- 173 212 (Himachal Pradesh). Email: shrwander@yahoo.co.in
3. The Additional Chief Secretary (Forest), Govt. of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Dehradun.
4. The Nodal Officer, Forest Conservation, Uttarakhand, Indira Nagar, Forest Colony, Dehradun for information. He is requested to take action on the decisions taken in the REC meeting (Project wise) & ensure submission of compliance to this office for further necessary action.

Gajendra Narwane
06.09.2022
(Gajendra Prakash Narwane)
AIGF-cum-Member Secretary, REC



V.L. Shukla



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

भारत सरकार
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक:- 1978 / FP/UK/RAIL/148808/2021 दिनांक: देहरादून 17 फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।




विषय :- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) भूमि हेतु 0.8511 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
P.N.- FP/UK/RAIL/148808/2021

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दिनांक 30.08.2022 को आयोजित REC की बैठक।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित REC दिनांक 30.08.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1944/12-1 दिनांक 28.01.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र०	चाही गयी सूचना	आख्या
1	The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh Karnaprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same will be submitted. It is requested to propose the plantation area in one patch/ Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps and plantation scheme of 1702 trees shall be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2428/12-1 दिनांक 19.10.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित होने वाली 0.8511 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी 1.7022 है० जाखाल क०सं०-5 वन भूमि का चयन एक ही ब्लॉक के अन्तर्गत किया गया है। (संलग्नक-1) चयनित भूमि के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र, (संलग्नक-2 व 3) KML File, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (संलग्नक-4) एवं वृक्षारोपण योजना (संलग्नक-5) तैयार कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित हैं।
2	A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्रों का विस्तृत विवरण संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)
3	Muck disposal plan is required to be reviewed and submitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत प्रकरण में मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित कुल 14.0271 है० भूमि का विवरण अपने पत्रांक-591 दिनांक 13.10.



(Handwritten signature)

		2022 से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया है, (संलग्नक-7) जिसका संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जायेगा एवं उक्त प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि का चयन एक ही ब्लॉक के अन्तर्गत किये जाने हेतु संबंधित वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
4	No trees should be felled in the muck dumping area.	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली), 18/02/23

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या- / FP/UK/RAIL/148808/2021 दिनांकित।


प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1944/12-1 दिनांक 28.01.2023 के क्रम में।
2. उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

(एस0एस0 रसाईली),

अपर प्रमुख वन संरक्षक,

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।



[Handwritten signature]

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1944 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जनवरी 28, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


विषय- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) भूमि हेतु 0.8511 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।

P.N.- FP/UK/RAIL/148808/2021

सन्दर्भ- दिनांक 30.08.2022 को आयोजित REC की बैठक।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित REC की बैठक के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2428/12-1 दिनांक 19.10.2023 (संलग्न) से अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.08.2022 को आयोजित REC की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार वांछित 04 बिन्दुओं की सूचना मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश ने अपने पत्रांक-898 दिनांक 29.12.2022 से निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 तथा प्रभाग द्वारा पार्ट-1। के Additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं संशोधित प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

क्र0	चाही गयी सूचना	आख्या
1	The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh Karnaprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same will be submitted. It is requested to propose the plantation area in one patch/ Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps and plantation scheme of 1702 trees shall be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 2428/12-1 दिनांक 19.10.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित होने वाली 0.8511 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी 1.7022 है0 जाखाल क0सं0-5 वन भूमि का चयन एक ही ब्लॉक के अन्तर्गत किया गया है। (संलग्नक-1) चयनित भूमि के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र, (संलग्नक-2 व 3) KML File, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (संलग्नक-4) एवं वृक्षारोपण योजना (संलग्नक-5) तैयार कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित हैं।
2	A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्रों का विस्तृत विवरण संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)



सो. का. प्रभारी टिहरी
आ. का. के. र.
JAI DEEP
31-1-23

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून 24867
पंजी सं. 1/23
31-1-23

क्रमशः पेज 02 पर

3	Muck disposal plan is required to be reviewed and submitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत प्रकरण में मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित कुल 14.0271 है० भूमि का विवरण अपने पत्रांक-591 दिनांक 13.10.2022 से प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया गया है, (संलग्नक-7) जिसका संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जायेगा एवं उक्त प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि का चयन एक ही ब्लॉक के अन्तर्गत किये जाने हेतु संबंधित वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
4	No trees should be felled in the muck dumping area.	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।


अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी





पंजीकृत
ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 2428 / 12-1(2) दिनांक 19/01/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
विषय :- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) भूमि हेतु 0.8511 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148808/2021
सन्दर्भ :- दिनांक 30.08.2022 को आयोजित REC की बैठक।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में दिनांक 30.08.2022 को आयोजित REC की बैठक में लिये गये निर्णय से वांछित 03 बिन्दुओं की सूचना मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश ने उनके पत्रांक-898 दिनांक 29.12.2022 के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया है, तथा जिसे प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पार्ट-1 तथा प्रभाग द्वारा पार्ट-11 के Additional information detail में ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं संशोधित प्रपत्रों की प्रति संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

क्र.सं.	आपत्तियां	निराकरण
1	The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh Karnaprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same will be submitted. It is requested to propose the plantation area in one patch/Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps and plantation scheme of 1702 trees shall be submitted.	प्रकरण में प्रभावित होने वाली 0.8511 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगनी 1.7022 है० जाखाल क०सं०-5 वन भूमि का चयन एक ही ब्लॉक के अन्तर्गत किया गया है। (संलग्नक-1) चयनित भूमि के डिजिटल/टोपोशीट मानचित्र, (संलग्नक-2 व 3) KML File, उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (संलग्नक-4) एवं वृक्षारोपण योजना (संलग्नक-5) तैयार कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित हैं।
2	A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.	पूर्व में प्रस्तावित मक डम्पिंग क्षेत्रों का विस्तृत विवरण संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-6)
3	Muck disposal plan is required to be reviewed and submitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत प्रकरण में मलवा निस्तारण हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित कुल 14.0271 है० भूमि का विवरण अपने पत्रांक-591 दिनांक 13.10.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, (संलग्नक-7) जिसका संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किया जायेगा एवं उक्त प्रभावित वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि का चयन एक ही ब्लॉक के अन्तर्गत किये जाने हेतु संबंधित वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
4	No trees should be felled in the muck dumping area.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

पत्र
1/01/23
श्रीमद्दत्ता
का.का.
०
प्र०सं
११

गढ़वाल वृत्त, पौड़ी
S190
12-1
24/01
संलग्नक-8 उपरोक्तानुसार। (मूल सहित चार प्रतियों में)
वन संरक्षक

भवदीय
उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या / दिनांकित।
प्रतिलिपि :- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, बेस अस्पताल के सामने श्रीकोट, श्रीनगर को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
V.L. SHUKLA
Advocate & Notary
Registered
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।



रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति, स्व. गारन्थिता
 (A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
 (ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
 (Rishikesh-Karnaprayag New BG Rail Line Project)
 RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
 Bypass Road, Rishikesh - 249201
 Email: rvnlrksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 898

Dated: 29.12.2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
 रुद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड

विषय:- जनपद -रुद्रप्रयाग के अंतर्गत 126 कि 0 मी 0 ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु ग्राम जवाडी में अतिरिक्त 0.8511 है 0 वन भूमि का अतिरिक्त मलवा निस्तारण हेतु गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि 0 को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No .FP/UK/RAIL/148808/2021)

- सन्दर्भ:-**
- दिनांक 30 अगस्त 2022 को आयोजित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति की 71वीं बैठक का कार्यवृत्त।
 - रुद्रप्रयाग वन प्रभाग पत्रांक संख्या - 843 /12 -1 (2) रुद्रप्रयाग दिनांक 08.09.2022।
 - रेल विकास निगम लि 0 पत्रांक संख्या - RVNL/RKSH/FRST (Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/591 दिनांक 13.10.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित बैठक का कार्यवृत्त (विवरण)/पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें संदर्भित 71वीं बैठक का कार्यवृत्त के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा परियोजना हेतु सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा पत्र संख्या -2 के सापेक्ष वांछित आख्या जैसे कि पूर्व में अनुमोदित मलवा डंपिंग यार्ड का विस्तृत विश्लेषण और नई प्रस्तावित मलवा डंपिंग यार्ड एवं अन्य आवश्यक आख्या आपके कार्यालय को रेल विकास निगम लि 0 के पत्रांक संख्या RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/591 दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवा दी गयी है (छायाप्रति संलग्न)। संदर्भित 71वीं बैठक का कार्यवृत्त में उल्लेखित शर्तों की आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है:

क्र० सं०	निर्धारित शर्तें /आपत्तियां	अनुपालन /शर्तों का निराकरण
1	प्रस्ताव पहले से स्वीकृत ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन परियोजना के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता के लिए है और अपेक्षित है कि इसके लिए कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। अनुरोध है कि वृक्षारोपण क्षेत्र को छोटे-छोटे पैचों में उपलब्ध कराने के स्थान पर सभी प्रस्तावों के लिए एक पैच/ब्लॉक में प्रस्तावित किया जाए और तदनुसार केएमएल फाइल, मानचित्र और 1702 वृक्षों की वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जाएगी। The proposal is for additional area requirement for the already approved Rishikesh Karnaprayag Railway line project and it is expected that few more proposals for the same will be submitted. It is	आपके पत्रांक 1549/12-1(2) दिनांक: 14/11/2022 द्वारा चयनित वृक्षारोपण स्थान, रेन्ज के अन्तर्गत जाखाल क 0 स 0-5, जिसका क्षेत्रफल 1.702 है 0 का जी 0 पी 0 एस 0 मान प्रदान कर दिया गया है जिसका के 0 एम 0 एल 0, डिजिटल मानचित्र, टोपो मानचित्र, वृक्षारोपण योजना एवं उपयुक्त प्रमाण -पत्र बनवाकर संलग्न कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।



(Handwritten signature)

	requested to propose the plantation area in one patch/ Block for all the proposals instead of providing it in small patches and accordingly KML file, maps and plantation scheme of 1702 trees shall be submitted.	
2	पूर्व में प्रस्तावित मलवा डंपिंग यार्डों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। A detailed analysis of the previously proposed muck dumping yards is required to be submitted.	हमने अपने पत्र संख्या: RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/591 दिनांक 13. 10. 2022 के माध्यम से पूर्व में स्वीकृत मक डंपिंग यार्डों का वांछित विश्लेषण रिपोर्ट आपके कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
3	उत्पन्न होने वाली मलवा की मात्रा और डंपिंग यार्ड की क्षमता को ध्यान में रखते हुए मलवा निवारण योजना की समीक्षा कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। Muck disposal plan is required to be reviewed and submitted in view of the quantity of muck that will be generated along with the capacity of the dumping yard.	हमने अपने पत्र संख्या: RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/591 दिनांक 13. 10. 2022 के माध्यम से परियोजना से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त मलवा एवं पूर्व में स्वीकृत मक डंपिंग यार्डों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, नए मक डंपिंग यार्डों का प्रस्ताव रिपोर्ट आपके कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
4	डंपिंग क्षेत्र में किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए। No trees should be felled in the muck dumping area.	शर्त का पालन किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी शर्तों के सम्बन्ध में वांछित आख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः आप से अनुरोध है कि प्रकरण को स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण पर सैद्धांतिक /विधिवत स्वीकृति की प्रक्रिया आरम्भ की जा सके।


संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय




(अजीत सिंह यादव)

मुख्य परियोजना प्रबंधक
रेल विकास निगम लि 0
ऋषिकेश - कर्णप्रयाग रेल परियोजना




RVNL Additional Proposals C.A. Land Jakhai C.No.-5



सौरिखाल - 1

GOVT. OF UTTARAKHAND
 PwD
 20/08/2023
 20/08/2023

डिजिटल मैप-126 कि मी ऋषिकेश कर्णप्रयाग नै ब्रॉड बैंड गेज रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल (नकारात्मक क.सं.-5 आरक्षित भूमि 1.7022 हे.) रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम जावेरी (अतिरिक्त 0.8511 हे.)




Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Division Boundary
- Proposed CA Land

उप वन संरक्षक
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
 रुद्रप्रयाग

सुनेंद्र कुमार / SURENDRA KUMAR अजीत सिंह यादव / AJIT SINGH YADAV
 अपर महाप्रबंधक परियोजना / AGM Project-2 मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
 रेल विकास निगम लि. / Rail Vikas Nigam Ltd. रेल विकास निगम लि. / Rail Vikas Nigam Ltd.
 (भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises (भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
 रेल (मंत्रालय) / Ministry of Railways (भारत सरकार का उपक्रम) / A Govt. of India Enterprises
 249201 / Rishikesh (U.K.) 249201 / Rishikesh (U.K.) 249201 / Rishikesh (U.K.) 249201

1:50,000 Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun




जिलाल मप-126 कि मी अफिकेश कर्णप्रयाग नै बॉर्ड बेंड गेज रेल लाइन निर्माण परियोजना हेतु चयनित

क्षेत्रीयक वृक्षाशेषण स्थल
 कर्णप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत ग्राम जावरी (अधिकृत क. टी-5 आर/फाइ अफि 1.7022
 0.8511 5.0)

अधीनस्थ
 कर्णप्रयाग वन प्रभाग
 कर्णप्रयाग

कर्मचारी (वन)
 रेल विकास निगम लि०




Legend

- GPS Location
- CALand

सुरेश कुमार / SUBHADRA KUMAR
 अवर मण्डलाधिकारी / AGM Project-2
 रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
 (भारत सरकार का वरगण) / A Govt. of India Enterprise
 रेल विभाग (कारणवृत्त) / Rail Section (Causeway)
 नई दिल्ली (नियंत्रण) / New Delhi (Control) - 110021

अजीत सिंह / AJIT SINGH YADAV
 मुख्य परियोजना प्रबंधक / Chief Project Manager
 रेल विकास निगम लि० / Rail Vikas Nigam Ltd.
 (भारत सरकार का वरगण) / A Govt. of India Enterprise
 नई दिल्ली (कारणवृत्त) / New Delhi (Causeway) - 110021



Co-ordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	78° 54' 26.14" E	30° 21' 26.42" N
2	78° 54' 27.4" E	30° 21' 24.9" N
3	78° 54' 29.45" E	30° 21' 22.66" N
4	78° 54' 22.71" E	30° 21' 22.8" N
5	78° 54' 21.12" E	30° 21' 23.24" N
6	78° 54' 21.14" E	30° 21' 24.64" N
7	78° 54' 22.52" E	30° 21' 25.48" N

1:2,500


क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 0.8511 है० अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 0.8511 है० अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 1.7022 है० जाखाल क०सं०-5 आरक्षित वन भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है तथा पूर्व व वर्तमान में इस क्षेत्र में कोई भी वनीकरण कार्य नहीं हुआ है।

वन संरक्षण
विभाग प्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग



/s/

परियोजना का नाम :- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) 0.8511 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।

(28)
संलग्नक


(5)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस0 एस0 पी0)					
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम -			जाखाल क0सं0-5		
क्षतिपूरक वनीकरण का प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0 में)			1.7022	है0	वर्ष 2022-23
क्र. सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या			
1	कचनार	500			
2	देवदार	500			
3	पदम	400			
4	आंवला	302			
योग		1702			
रोपित कुल पौध		1702			
प्रथम चरण					
क्र0	कार्य का विवरण	इकाई	इकाई दर प्रति रु0	व्यय	
1	सर्वे व सीमांकन	1.70	है0	168.00	285.97
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	1.70	है0	1682.00	2863.10
3	अग्रिम दीवालबन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य	1.70	है0	48000.00	81705.60
4	गड्डो का खुदान (0.30x0x30x0.45cum) रेखांकन सहित	1702	प्र0ग0	11.00	18724.20
5	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	1702	प्र0 सं0	10.00	17022.00
6	कण्टूर नाली सीमांकन (235 र0मी0 प्रति है0)	400	र0मी0	1.30	520.02
7	कण्टूर नाली खुदाई एवं ड्रेसिंग (0.45 X 0.30)	400	र0मी0	92.00	36801.56
8	घास लगाने पर व्यय (05 जड़ प्रति र0मी0)	1.70	प्र0है0	2400.00	4085.28
9	अन्य व्यय निरीक्षण बटिया, हथियार आदि।	1.70	है0	1350.00	2297.97
प्रथम चरण का योग					162007.74
द्वितीय चरण					
1	झाड़ी कटान	1.70	है0	1682.00	2863.10
2	गड्डा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	1702	सं0	2.00	3404.40
3	पौध डुलान कार्य	1702	सं0	13.00	22128.60
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	1702	सं0	4.00	6808.80
5	घास डुलान	1.70	प्र0है0	200.00	340.44
6	कण्टूर खाईयों में घास रोपण व बीज बोना	1.70	प्र0है0	300.00	510.66
7	निराई गुडाई करना प्रथम बार	1702	सं0	2.75	4681.05
8	निराई गुडाई करना मय मलचिंग कार्य द्वितीय बार	1702	सं0	2.40	4085.28
9	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	1702	सं0	3.00	5106.60
10	घेरबाड़ के किनारे रोपण हेतु कटिंग बनाना।	1.70	प्र0है0	643.00	1094.51
11	घेरबाड़ के चारों तरफ कटिंग लगाना।	रोपण रक्षक द्वारा किया जायेगा।			
12	चौकीदारी / वनीकरण सुरक्षा व्यय (रा माह)	1.70	प्र0है0	1000	20426.4
13	अन्य व्यय बोर्ड क्रय, रस्सी, कण्डी आदि।	1.70	है0	1500.00	2553.30
कुल योग द्वितीय चरण					71140.04
तृतीय चरण					
10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (वीडिंग अप)					
1	पौध की लागत	170	सं0 / पौध	13.00	2212.86
2	पुनः गड्डा खोदना	170	सं0 / पौध	11.00	1872.42
3	पौध डुलान एवं रोपण करना	170	सं0 / पौध	20.00	3404.40
4	पौधों की निराई-गुडाई तथा मलचिंग कार्य	रोपण रक्षक द्वारा किया जायेगा।			
5	मृत पौध बदलना, बीज बुआन, घास रोपण निराई-गुडाई व वनीकरण की सुरक्षा कार्य (12 माह)	1.70	सं0 / पौध	1000.00	20426.40
6	गणना, फोटोग्राफी अभिलेखीकरण व अन्य व्यय।	1.70	सं0 / पौध	350.00	595.77
तृतीय चरण का योग					28511.85



(Handwritten signature in blue ink)

चतुर्थ चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद चतुर्थ वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
चतुर्थ चरण का योग :-						20426.40
पंचम चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद पंचम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
पंचम चरण का योग :-						20426.40
छठवां चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद षष्ठ वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
छठवें चरण का योग :-						20426.40
सातवां चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद सप्तम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
सातवें चरण का योग :-						20426.40
आठवां चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद अष्टम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
आठवें चरण का योग :-						20426.40
नवम् चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद नवम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
नवें चरण का योग :-						20426.40
दशम चरण						
1	रोपण वर्ष के बाद दशम वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य	12 माह	1.70	है०	1000.00	20426.40
दशवें चरण का योग :-						20426.40
5-कुल व्यय सारास प्रति है० व कुल व्यय						
क्र.सं.	वर्ष का नाम		प्रति है० व्यय			
1	प्रथम वर्ष		162007.74			
2	द्वितीय वर्ष		71140.04			
3	तृतीय वर्ष		28511.85			
4	चतुर्थ वर्ष		20426.40			
5	पंचम वर्ष		20426.40			
6	षष्ठ वर्ष		20426.40			
7	सप्तम वर्ष		20426.40			
8	अष्टम वर्ष		20426.40			
9	नवम् वर्ष		20426.40			
10	दशम वर्ष		20426.40			
कुल व्यय रुपये			404644.43			
मृदा एवं जल संरक्षण कार्य			289839.55			
कुल योग			694483.98			
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार वसूली वर्ष 2022-23 हेतु देय दर 407992.00 रु०/है०			1.702	Ha.	694483.98	
या						694484.00



वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रे

उप वन संरक्षक
रूढ़पयाग वन प्रभाग
रूढ़पयाग

(Handwritten signature)

संलग्नक

6

38


ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु चयनित / स्वीकृत मक जमिंन क्षेत्रों की अध्यावधिक स्थिति।

(दिनांक 13.10.2022)

Sl. No	Code	Dumping /Station Yard Area	Location	Chainage	Capacity (cum.)		स्वीकृत क्षेत्र (Sq.m.)	प्रस्तावित क्षेत्र (ha.)	वर्तमान स्थिति
					स्वीकृत	वास्तविक			
1	D-23	Dhari Station & Dumping Yard	Dhari	83+400.00	677730.00	118000.00	182589	118000.00 cum filled	
2	D-24	Dumping Yard		84+ 000.00	222750.00	110925.6	39461	100 % filled	
3	D-25	Khankra Dumping Yard	Narkota	88+ 400.00	572000.00	40000.00	84857	Filled up to feasibility of muck dumping	
4	D-27	Narkota Dumping Yard		91+ 000.00	352000.00	120000.00	6.1980	100 % filled	
5	D-28	Tilani	Tilani	100+ 400.00	769280.00	642000.00	6.2799	100 % filled	
6	D-29	Tilani Station		101+ 000.00	120000.00	Nil/ Not filled	10.0055	Not filled	
7	D-32	Gholtir Station	Gholtir	108+ 000.00	120000.00	Not Filled	9.6142	Not Filled	
8	D-33	Gholtir (Kothgi)		109+ 500.00	642720.00	304459.00	8.1670	304459.00 cum filled	
9	D-34	Gauchar	Gauchar	116+ 500.00	759360.00	390494.45	12.2420	390494.45 cum filled	

नोट :- क्र0स0-9 (D-34) में अंकित स्टेशन यार्ड में प्रभावित भूमि इस वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत नहीं। अतः उक्त के अतिरिक्त कुल 08 जमिंन यार्ड एवं स्टेशन यार्डों का स्थलीय निरीक्षण संबंधित वन क्षेत्राधिकारियों एवं रेल विकास निगम लि0 के प्रतिनिधियों के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिनका पूर्ण विवरण उपरोक्तानुसार है।


उप वन संरक्षक
उप वन प्रभाग, ऋषिकेश
उप वन प्रभाग, ऋषिकेश
उप वन प्रभाग, ऋषिकेश



मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय
(ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karanprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvnlrks1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/ 591

Dated: 13.10.2022

सेवा में

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई बी०जी० रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अतिरिक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक 843/12-1(2) दिनांक 08.09.2022

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है प्रेषित है।

1. सम्भावित मक डम्पिंग हेतु अतिरिक्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों का विवरण

S.N.	New locations for muck dumping	Area (in ha) Approx.	Capacity (in cum)	Purpose	Type of land	Area of CA Land Required (in Ha.)
1	2	3	4	5	6	7
i	Daisy Manda Khankara	3500 sqm* 0.35 Ha.	40,000	Dumping the muck excavated from Adit-6A	Gram sabha ,Khankara	-
ii	D/s to NH (Near to Hilans dhaba)	24991 sqm 2.49 Ha.	3,22,000			4.98
iii	Tilani (adjacent to D-28)	40882 sqm 4.0882 Ha.	2,04,111	dumping the muck excavated from T-13 /P-2	To be identified by joint inspection with Revenue inspector	8.1764
iv	D/s to NH (Near to office of DFO/RPG)	13268 sqm 1.321 Ha.	122114	Dumping the muck excavated from adit-7		2.642
v	Area of Govt. Degree college Jwadi	11349 sqm 1.135 Ha.	82077 cum	Muck from adit-7 for Filling and levelling the land as per demand of District administration.	Land yet not transferred completely to college authority.	2.27
vi	Govt. Intermediate school Jwadi	10185 sqm 1.0185 Ha.	1,01,858 cum	Muck from adit-7 for Filling & levelling play ground as per	To be identified by joint inspection with Revenue inspector	2.037

				demand of school principle	
VII	Jhirmoli Village	25,233 sqm 2.5233 Ha.	250000 cum	Muck from T 13 p1 & Adit-7	5.0466
VIII	Jawari Bypass	11,011 sqm 1.1011 Ha	150000 cum	Muck from T 13 p1 & Adit-7	2.2022
Total-		14.0271			27.3542

नोट- उपरोक्त सारणी में अभी अंकित क्षेत्रफल अनुमानित है, वास्तविक आंकड़ा रेल विकास निगम लि० के प्रतिनिधि व राजस्व कर्मि, एवं वन कर्मियों के साथ स्थलीय संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात ही अंतिम हो पायेगा ।

यहाँ पर आपके संज्ञान में लाना है, कि ऑन लाईन प्रपोजल सं० FP/UK/RAIL/148884/2021 (सिरोबगढ़) में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 1.68 है० वन भूमि के सापेक्ष 3.36 है० आरक्षित वन भूमि उत्तर जखोली रेन्ज के कक्ष सं०- लनगाड कक्ष सं० 4अ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की है इसी क्रम में ऑन लाईन प्रपोजल सं० FP/UK/RAIL/148886/2021 (रतुडा) में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 1.455 है० के सापेक्ष 2.910 है० आरक्षित वन भूमि उत्तर जखोली रेन्ज के कक्ष सं०- लनगाड कक्ष सं० 4अ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में आयोजित रीजनल एम्पावर्ड कमेटी की 30 अगस्त 2022 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त अंकित सारणी के कॉलम सं०-7 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वांछित 27.3542 है० वन भूमि उत्तर जखोली रेन्ज के कक्ष सं०- लनगाड कक्ष सं० 4अ में एक टुकड़े में चिन्हित की जाये अथवा फील्ड में उपलब्धता के अनुसार उत्तर जखोली रेन्ज में ही क्षतिपूर्ति वृक्षा रोपण हेतु प्रस्तावित की जाये।

बिन्दु सं०-2

S.N	Location	Approved Dumping yard No.	Sanctioned Quantity	Capacity (in cum)	Source of excavated Muck	Present Status of muck dumping yard.
A	Dhari Station ,	D-23	677730	3.23 Lakh + 90 Thousand (Blanket)	Portal P-1 /Tunnel -12, Portal-p2/Tunnel 11	118000 cum Portal-2/tunnel-11:88000, Portal-1/tunnel-12:30000 Approx.
B	Dhari Devi	D-24	222750	110926		100 %
C	Khankara	D-25	572000	146898*	Adit-6A	*Filled up to feasibility of muck dumping
D	Narkota	D-27	352000	120,000*	P-2/Tunnel - 12, P-1/ 13 and adit-7	100 % filled
E	Tilani	D-28	769280	642000.00	Portal P- 2/tunnel -13 & P-1 /Tunnel -14	100 % filled
F	Tilani	D-29	120000	Nil	Yard catting	not filled
G	Gholtir (Kothgi)	D-33	642720	1113237.7	T 14 P2 – T15 P1	304459.9 cum filled
H	Gauchar	D-34	759360	1333333.33	T 15- P2, T 16 P1 Adit kmeDa, Station yard Gauchar	390494.45 cum filled

उक्त स्थलों का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तावित है

बिन्दु सं०-३


मलबा निस्तारण स्थल सिरोबगढ़ सिविल 1.68 है० भूमि हेतु रिक्लेमेशन प्लान में प्रस्तावित अभियांत्रिक सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन अर्जक निकाय रेल विकास निगम लि० द्वारा किया जायेगा व वानिकी कार्य हेतु वांछित धनराशि की मांग आपसे प्राप्त होने पर तदनुसार धनराशि रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त पूर्व में अनुमोदित मलबा निस्तारण स्थलों का विवरण (Muck Disposal Plan) मलबा निस्तारण योजना की प्रति संलग्न है।

वांछित आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

 13/X/2022

मुख्य परियोजना प्रबन्धक
रेल विकास निगम लि० ऋषिकेश





भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून -248001
दूरभाष:0135-2650809
फैक्स.0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी./07/29/2022/एफ.सी.11020

दिनांक: 17/03/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद- रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.8511 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तना (Online Proposal no. FP/UK/RAIL/148808/2021)


सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1978/FP/UK/RAIL/148808/2021 दिनांक 17.02.2023 (Uploaded on 21.02.2023)

महोदय,

उपरोक्त विषय में सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव की के.एम.एल. के अवलोकन उपरान्त यह देखा गया है कि एफ.सी. अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल पर मलबा डाला जा चुका है, जो कि एफ सी अधिनियम 1980 के उल्लंघन के अन्तर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख नदी (अलकनंदा) से इस स्थल की निकटता के कारण, अनियमित मलबा निस्तारण से नदी का प्रदूषण हो सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी इस संबंध में कार्यवाही करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

o/c


(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

o/c


(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) 17-3-23
सहायक महानिरीक्षक (वन)







सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून 248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू.सी.पी./06/29/2022/एफ.सी./56

दिनांक: 12/04/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः. जनपद- रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 किमी. ऋषिकेष-कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन निर्माण हेतु 0.8511 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no. FP/UK/RAIL/148808/2021)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि माननीय एन० जी० टी० में दर्ज Original Application No. 44/2024 के संदर्भ में पारित आदेश अनुसार प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.04.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल (वन भूमि) पर कार्य किया जा रहा है जो कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की विस्तृत आख्या (जिसमें कार्य प्रारम्भ की तिथि, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम एवं पदनाम, वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो) इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रभागीय वनाधिकारी की विस्तृत आख्या पर राज्य शासन अपना अभिमत प्रकट कर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

Signed by Neelima Shah

Date: 12-04-2024 15:05:59

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि: प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

o/c





कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

भारत सरकार

पत्रांक-२२२१ /12-1 : देहरादून:दिनांक: २७ अप्रैल, 2024

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25, सुभाष रोड, देहरादून।




विषय:- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) भूमि हेतु 0.8511 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/148808/2021)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी /यू०सी०पी०/०६/३८/२०२३/एफ०सी० दिनांक 18.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत EDS की सूचना वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1907/12-1 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
1.	प्रस्ताव की के.एम.एल. के अवलोकन उपरान्त यह देखा गया है कि एफ.सी. अधिनियम, 1980 के तहत अनुमोदन से पूर्व ही प्रस्तावित स्थल पर मलबा डाला जा चुका है, जो कि एफ सी अधिनियम 1980 के उल्लंघन के अन्तर्गत आता है।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3185/12-1(2) दिनांक 20.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि-डम्पिंग हेतु प्रस्तावित स्थल पर सैद्धांतिक स्वीकृति की प्रत्याशा में लम्बित प्रक्रिया के तहत डम्पिंग हेतु अन्य कोई स्थान उपलब्ध न होने के कारण मलबा डाला गया है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना भारत सरकार की एक महत्वकांक्षी एवं सामरिक महत्व तथा समय बद्धता के दबाव में, कार्य रुक जाने पर प्रतिदिन भारी भरकम लागत वृद्धि को मध्यनजर रखते हुए कार्यदायी संस्था के पास अन्य कोई विकल्प न होने के कारण स्वीकृति की प्रत्याक्षा में प्रस्तावित डम्पिंग स्थल पर मक डम्प किया गया। एफ०सी० एक्ट 1980 के उल्लंघन के तहत दक्षिण जखोली रेंज रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा जुर्म सं० 40/2022-23 इजराय होने पर रेल विकास निगम लि० द्वारा चैक सं० 283779 एक्सिस बैंक रु० 4,61,291.00 (चार लाख इकसठ हजार दो सौ इकानबे) मात्र को अपने पत्रांक-RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/516 दिनांक 05.12.2023 के तहत रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के कार्यालय में जमा किया है। अतिरिक्त प्रश्नगत मक को पुनः क्रशर में डाल कर निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा चुका है।
2	इसके अतिरिक्त, प्रमुख नदी (अलकनन्दा) से इस स्थल की निकटता के कारण, अनियमित मलबा निस्तारण से नदी का प्रदूषण हो सकता है।	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3185/12-1(2) दिनांक 20.03.2024 से एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि-प्रस्तावित डम्पिंग स्थल पर प्रश्नगत मक को हटाकर पुनः क्रशर में उपयोग कर लिया गया है। अलकनन्दा नदी की तरफ मलबे के न बहने के लिए गेबियन स्ट्रक्चर/सुरक्षा दीवारों का निर्माण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप अलकनन्दा में मलबे के प्रवाहित होने से प्रदूषण की सम्भावना नहीं है। सारा मलबा जवाड़ी नाले में ही समाहित रहेगा।
3	अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी इस संबंध में कार्यवाही करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में उक्त उल्लंघन कार्य किये जाने पर वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज ने उनके पत्रांक-391/12-1 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित प्रस्तावक विभाग द्वारा बिना स्वीकृति/अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा है। तत्पश्चात् प्रकरण की स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की पत्र संख्या-2575/12-1(2) दिनांक 01.02.2023 (संलग्नक-1) के द्वारा संबंधित प्रस्तावक विभाग को निर्देशित किया गया, किन्तु प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं कराई गई।



27/04/24

27/04/24

	<p>पुनः प्रभागीय कार्यालय की पत्र संख्या-2743/12-1(2) दिनांक 14.02.2023 (संलग्नक-2) के द्वारा प्रकरण में उक्त कृत्य हेतु अपनी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने तथा प्रकरण का मौके पर निरीक्षण हेतु एक सप्ताह के अन्तर्गत समय निर्धारित करते हुये प्रस्तावक विभाग को पत्र प्रेषित किया गया।</p> <p>प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा दिनांक 25.02.2023 को रेल विकास निगम लि० ऋषिकेश के प्रतिनिधि, वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज तथा अधीनस्थ स्टाफ की उपस्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित/चयनित स्थल जवाड़ी सिविल भूमि का मौके पर स्थलीय निरीक्षण कार्य किया गया। मौके पर पाये गये तथ्यों का विवरण निम्न प्रकार है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उक्त निर्माण कार्य हेतु सक्षम स्तर से अनुमति/स्वीकृति से संबंधित अभिलेख/अनुमति पत्र के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से पूछताछ की गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति/अनुमोदन हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। 2. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में प्रस्तावित/चयनित 0.8511 है० सिविल वन भूमि से अतिरिक्त 0.4589 है० सिविल वन क्षेत्र पर मलवा निस्तारण पाया गया। 3. उक्त अतिरिक्त क्षेत्र पर किये गये मलवा निस्तारण से वन सम्पदा को हुई क्षति का आंकलन किया गया, जिसके एवज में प्रभाग के अन्तर्गत दक्षिण जखोली रेंज द्वारा संबंधित प्रस्तावक विभाग के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम-1927 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जुर्म केस सं०-40/2022-23 दिनांक 23.02.2023 दर्ज कर उक्त क्षति से आंकलित रुपये 4,61,291.00 (चार लाख इकसठ हजार दो सौ इक्यानबे मात्र) की धनराशि वसूल की गई। (संलग्नक-3) <p>भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो एवं उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् मलवा निस्तारण किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देश दिये गये।</p>
--	---

अतः वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी/प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या-२२९१ /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।
3. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, बेस अस्पताल के सामने श्रीकोट, श्रीनगर।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।



(Handwritten signature)

सैलानक - ①



ई. मेल : dforudraprayag@gmail.com
 फोन/ फैक्स नं० :- 01364-233505::
 पता :- साई की मढी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक- 2575/12-1(2) दिनांक 01/02/2023::

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
 रेल विकास निगम लि०,
 ऋषिकेश।

विषय :- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) भूमि हेतु 0.8511 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
 PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148808/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) 0.8511 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आतिथि तक सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु लम्बित है, किन्तु प्रकरण में चयनित भूमि पर आप द्वारा मलवा निस्तारण किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण हेतु चयनित कुल 0.8511 है० सिविल वन भूमि में KML फाईल तैयार कर पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव तैयार किया गया है, किन्तु आप द्वारा उक्त चयनित क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र पर भी मलवा निस्तारण किया जा रहा है।

आप विदित हैं कि राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में वन श्रेणी की किसी भी भूमि पर गैर वानिकी कार्य किये जाने से पूर्व सक्षम (राज्य सरकार/भारत सरकार) स्तर से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होती है, तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है, बावजूद आपके क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कई प्रकरणों में बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है।

इस संबंध में अपने स्तर से जांच करते हुये उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करते हुये इस कार्यालय को अवगत कराये, अन्यथा की स्थिति में उक्त संबंधित सूचना भारत सरकार को प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय,


उप वन संरक्षक,
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 2575 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:- उप प्रभागीय वनाधिकारी जखोली उप वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि 2:- वन क्षेत्राधिकारी दक्षिणी जखोली रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

0/4

उप वन संरक्षक,
 रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।





ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
 फोन/ फेक्स नं० :- +91-8126660575::
 पता :- गाई की सढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक- 2743 /12-1(2) दिनांक 14/02/2023::

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
 रेल विकास निगम लि०,
 ऋषिकेश।

विषय :- ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु अतिरिक्त (जवाड़ी सिविल) भूमि हेतु 0.8511 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
 PROPOSAL NO.- FP/UK/RAIL/148808/2021


महोदय,


उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आतिथि तक स्वीकृति हेतु अपेक्षित है, वन क्षेत्राधिकारी, दक्षिणी जखोली रेंज ने अपने पत्रांक-391/12-1 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में चयनित/प्रस्तावित भूमि पर आप द्वारा, मलवा निस्तारण कार्य किया जा रहा है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन के अन्तर्गत है, जिसके संबंध में आपको मौखिक रूप से एवं जिला कार्यालय कक्ष तथा प्रभागीय कार्यालय में सम्पन्न समीक्षा बैठकों में भी अवगत कराया जाता है, बावजूद आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 का पालन नहीं किया जाता है।

अतः उक्त परियोजना के निर्माण हेतु चयनित/प्रस्तावित वन भूमि पर किये जा रहे कार्यों के संबंध में अपनी सुस्पष्ट आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा प्रकरण में चयनित/प्रस्तावित वन भूमि का मौके पर स्थलीय निरीक्षण हेतु एक सप्ताह के अन्तर्गत समय निर्धारित किया जाता है। उक्त निर्धारित समयान्तर्गत निरीक्षण कार्य हेतु प्रभागीय कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण कार्य सम्पन्न किया जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
 रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।





रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
सुगमता, गति एवं मर्यादा
(A Government of India Enterprise)

मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय 2013-14
(ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना)
Office of Chief Project Manager
(Rishikesh-Karnprayag New BG Rail Line Project)
RVNL Office Building, Opp. GST Bhavan, Next to GIMVN, Shyampur
Bypass Road, Rishikesh - 249201
Email: rvn/rksh1@gmail.com, Tel: +91-135-2432008

RVNL/RKSH/FRST(Cors)/1/2020/CIVIL/RKSH/586

Dated: 23.12.2023

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

ई. मेल से प्राप्त
दि 23/12/23 समय - 11:51 AM

विषय-मल्यासू कोटली मोटर मार्ग के समीप ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन परियोजना द्वारा जवाडी सिविल भूमि में अवैध रूप उत्सर्जित मलबे का डम्पिंग जोन में 0.5489 है० में अतिरिक्त मलबा डाले जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ-आपका पत्रांक 1354/12-1 (2) दिनांक 20.10.2023,

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है, कि जवाडी सिविल भूमि में 0.8511 है० क्षेत्र में अवैध अतिरिक्त मल डम्पिंग हेतु लगाये गये अर्थ दण्ड 4,61,291/- (चार लाख इकसठ हजार दो सौ इकानवे) की धनराशि चैक सं० 283779 एक्सिस बैंक शाखा ऋषिकेश दिनांक 05.12.2023 के द्वारा आपके कार्यालय में जमा कराया जा चुका है। कृपया उक्त प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें


प्रमाण - चेक प्रतिलिपि

भवदीय

उप महाप्रबंधक/सिविल/विशेषज्ञ
रेल विकास निगम लि०
ऋषिकेश।

जनशुक्ति
31.01.2024

20.12.23



AXIS BANK LTD
RISHIKESH (UT), RISHIKESH, 249201
S CODE - UTIB0000156

Valid for three months from the date of issue

05 12 2023
D D M M Y Y Y Y

Regional Forest Officer, Rudrapur
को या उनके आदेश पर Or Order
Rupees Four Lakh Sixty One Thousand Two Hundred Ninety One only

A/c. No. 919020084954180
CABPA 156460

अदा करे ₹ 4,61,291/-

For RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

रेल विकास निगम लि. / For Rail Vikas Nigam Ltd

आधिकृत हस्ताक्षर / Authorised Signatory
Authorised Signatory(ies)
Please sign above

A/c Payee Only

Payable at par at all branches of Axis Bank Ltd in India.

⑈283779⑈ 249211102⑈ 156460⑈ 29

Sub: TRANSFER OF FOREST LAND FOR DUMPING AT JAWARI BYE-PASS FOR CONSTRUCTION OF RKSH-KNPG RAIL LINK PROJECT.

Attached please find a cheque bearing no.283779 Dt.05.12.2023 of Rs.461,291.00 (Rupees Four Lakh Sixty One Thousand Two Hundred Ninety One) on account of payment towards Doc No:0006052675.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Rail Vikas Nigam Limited
रेल विकास निगम लि. / For Rail Vikas Nigam Ltd

आधिकृत हस्ताक्षर / Authorised Signatory
Authorised Signatories

Handwritten signature

